कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo com वेब–साईट jodhpurjda org Phone No 0291-2612986/265635-7 Fax 0291-2612986

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/ 8016 दिनांकः– 28/2/2020

--:कार्यवाही विवरण:--

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 01/2020 वीं बैठक दिनांक 31.01.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :– (31.01.2020)

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 07/2019 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा संख्या 230/3 रकबा 04.01.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री सागरराम पुत्र श्री मंगलाराम व अन्य

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को पहुँच हेतु कटाणी मार्ग की चौडाई 60 फीट रखी जानी होगी एवम् विद्यमान मार्ग की केन्द्र रेखा से 30 फीट की दूरी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावेगी कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
3. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
4. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 3 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 135/4 रकबा 03.00.05 बीघा में से 02.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री गोरधनराम पुत्र श्री मुकनाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. संलग्न मानचित्र में पार्क हेतु 5 प्रतिशत के कम भूमि प्रस्तावित की हैं अतः संशोधित मानचित्र अपेक्षित हैं।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
4. प्रार्थी से इस बावत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 4 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 6 रकबा 48.13.00 बीघा में से 18.06.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री मगसिंह

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार 100 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि उचियारडा से जोधपुर–डांगियावास बाईपास को मिलाने वाली सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 160 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे मानचित्र अनुमोदन किये गये है। अतः सड़क मध्य से 80' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे।
2. राजस्व रिकोर्ड अनुसार जोजरी नदी का एलाईन्टमेन्ट एवम् बहाव क्षेत्र की सीमाओं का परीक्षण मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार जोन द्वारा किया जाना है तथा तदानुसार जोजरी नदी का बहाव क्षेत्र मानचित्र पर अंकित किया जाकर जोजरी नदी की सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जाना।
3. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
4. प्रार्थी से इस बावत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त आवेदित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 102/2 रकबा 03.19.10 बीघा में से 02.00.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति लूणकी पत्नि श्री मिश्रीलाल

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 200 फीट (जोधपुर –डांगियावास बाईपास) से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः तदानुसार पहुँच मार्ग रखते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जाना है।
3. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उक्त बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट एवम् तत्पश्चात् 100–100 फीट प्लाटेशन बैल्ट हेतु आरक्षित रखते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जाना है।
4. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 34/2, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8 रकबा 12.00.00 बीघा के आवासीय योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति बिरजू देवी पत्नि श्री बींजाराम व अन्य

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. संलग्न मानचित्र में पार्क हेतु 5 प्रतिशत से कम भूमि प्रस्तावित की हैं अतः पार्क क्षेत्र न्यूनतम 05 प्रतिशत रखा जाना है एवम् योजना के पश्चिम में दर्शित सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक हैं अतः उक्त सड़क को 40' किया जाना है।
2. पार्क एवम् सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल एवम् नाप अंकित की जानी है।
3. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
4. उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र आवेदक से प्राप्त कर एवम् उसकी जांच उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या 7 :– (31.01.2020) जोन– पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540/5 रकबा 21.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री हरिराम पुत्र श्री हाफूराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को पहुंच सडक का मार्गाधिकार 20 फीट होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 8 :– (31.01.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 35/11 रकबा 05.00.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति शान्ति पत्नि श्री शंकरराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

2. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :– (31.01.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 35/16 रकबा 04.00.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री शंकरराम पुत्र श्री मोहनराम उर्फ मोवनराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :– (31.01.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम बड़ा कोटेचा खुर्द के खसरा संख्या 58/7, 58/47 रकबा 27.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री भाखरराम पुत्र श्री आईदानराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में जोन उपायुक्त, संबंधित उप नगर नियोजक, तहसीलदार/पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जाकर पहुॅच मार्ग की मौके एवम् राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चौडाई तथा उक्त रास्ता दो गॉवों को जोडता है, के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित चौडाई बाबत् रिपोर्ट कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 11 :– (31.01.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 112/9 रकबा 08.18.00 में से 02.15.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति खुशबू गुलेच्छा पत्नि श्री सौरभ बाफना।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र की संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 12 :— (31.01.2020) जोन—उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 113/9, 113/10, 113/11 रकबा 05.06.06 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री विष्णुप्रकाश आर. पुगंलिया लिमिटेड

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श कर आवेदित भूमि का भू—उपयोग भिन्न होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 13 :— (31.01.2020) जोन—उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 112/11 रकबा 01.10.00 मे से 01.08.00 बीघा के लघु उद्योग/कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री रितेश मुन्दड़ा पुत्र श्री अनिल मुन्दड़ा

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 14 :— (31.01.2020) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/2 रकबा 01.14.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री श्याम वैद्य पुत्र श्री रमेशचन्द

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
3. जोन उपायुक्त को अतिरिक्त क्षेत्रफल के स्वामित्व की विस्तृत जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक—पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 15 :— (31.01.2020) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/45 रकबा 02.15.16 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्रीमति शीतल पत्नि श्री पंकज सोलंकी

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक—पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 16 :— (31.01.2020) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/9 रकबा 02.18.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्रीमति सुमन पुगंलिया पत्नि श्री सुनिल कुमार

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90—क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक—पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 17 :— (31.01.2020) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/11 रकबा 04.15.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90—क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक—पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 18 :— (31.01.2020) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/7 रकबा 02.16.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्रीमति जयश्री पत्नि श्री मदनलाल पुगंलिया

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 19 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/21 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री घनश्याम भट्टड पुत्र श्री किशन वगैरह

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. जोन उपायुक्त को अतिरिक्त क्षेत्रफल के स्वामित्व की विस्तृत जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 20 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/8 रकबा 02.17.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति नेहल पत्नि श्री राघव पुगंलिया

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 21 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/44 रकबा 02.15.16 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति रीतू पत्नि श्री मनोज सोलंकी

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (वटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 22 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 53/12, 53/25 व 53/7 रकबा 06.05.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री आनन्द भूतड़ा पुत्र श्री सोहनलाल व अन्य

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (वटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 23 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 26/1/1/3 रकबा 01.04.05 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री चांद मोहम्मद पुत्र श्री सईद मोहम्मद

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
3. प्रस्तावित सर्कल से प्रभावित भूमि का अंकन कराया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 24 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/10 रकबा 04.11.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री पुरूषोतमदास

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 25 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/6 रकबा 02.18.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति दीपा बजाज पत्नि श्री कैलाश बजाज

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 26 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/5 रकबा 02.18.12 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति ममता बजाज पत्नि श्री प्रहलादराम बजाज

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 27 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/4 रकबा 02.19.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमति वन्दना बजाज पत्नि श्री राजेश कुमार बजाज

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 28 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खरारा संख्या 624/205, 206/1 रकबा 04.01.10 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– अखिल भारतीय भंसाली समाज सेवा ट्रस्ट जरिये श्री कल्याणमल भंसाली पुत्र श्री जौहरमल भंसाली

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदक द्वारा सडक सीमा में निर्माण किया गया है, अतः सडक सीमा में हुए निर्माण को हटाने तथा भवन विनियम अनुसार सेटबैक व अन्य प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए नियमानुसार मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा जावें।
3. जोन उपायुक्त को अतिरिक्त क्षेत्रफल के स्वामित्व की विस्तृत जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 29 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1971/931 रकबा 00.17.18 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री रमेश पुत्र श्री पूनाराम

निर्णय :– बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.11.2019 में लिये गये निर्णय के कम में जोन स्तर से औद्योगिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90/ए का आदेश जारी किया गया। समिति द्वारा दिनांक 08.11.2019 में प्रस्तुत एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क उपलब्ध हैं जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि का प्रावधान किया जावें।
3. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 30 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1573/1090, 1574/1090 रकबा 01.16.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री विष्णु प्रकाश पुत्र श्री श्यामलाल वगैरह

निर्णय :– समिति द्वारा बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.11.2019 में प्रस्तुत एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 31 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1972/931 रकबा 00.16.05 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री सुनील पुत्र श्री रमेश, श्री रमेश पुत्र श्री पूनाराम

निर्णय :– बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.11.2019 में लिये गये निर्णय के कम में जोन स्तर से औद्योगिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90/ए का आदेश जारी किया गया। समिति द्वारा दिनांक 08.11.2019 में प्रस्तुत एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क उपलब्ध हैं जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि का प्रावधान किया जावें।
3. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1855/1087 रकबा 00.04.13 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती ममता झंवर पत्नि श्री मनीष झंवर

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
2. आवेदक से इस संबंध में शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु अपना दावा प्रस्तुत करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी।

एजेण्डा संख्या 33 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/6, 128/9 रकबा 01.02.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री नरसिंह व श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उक्त कटाण मार्ग पर यदि 80 फीट सडक मार्गाधिकार से कम अथवा अधिक पर स्वीकृती जारी की गयी हो तो उक्त प्रकरणों की जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 34 :— (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 176/5 व 176/4 रकबा 01.02.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बावत। आवेदक :– श्री रवि अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द्र अग्रवाल

निर्णय :— समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि जोधपुर से सालावास मुख्य रोड पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200' हैं। अतः सड़क मध्य से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे।
2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही की जा चुकी है।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. प्रार्थी से इस बावत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :— (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 176/13 व 176/14 रकबा 02.04.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बावत। आवेदक :– श्री कपिल बंसल पुत्र श्री किशन बंसल

निर्णय :— समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि जोधपुर से सालावास मुख्य रोड पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200' हैं। अतः सड़क मध्य से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे।
2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही की जा चुकी है।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि का प्रावधान किया जावें।
4. प्रार्थी से इस बावत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :— (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/23, 128/25, 128/33 रकबा 01.05.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बावत। आवेदक :– श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान व श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री नरसिंह

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उक्त कटाण मार्ग पर यदि 80 फीट सडक मार्गाधिकार से कम अथवा अधिक पर स्वीकृती जारी की गयी हो तो उक्त प्रकरणों की जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 37 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/27 रकबा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री ढलाराम चौहान पुत्र श्री घमण्डाराम

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उक्त कटाण मार्ग पर यदि 80 फीट सडक मार्गाधिकार से कम अथवा अधिक पर स्वीकृती जारी की गयी हो तो उक्त प्रकरणों की जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 38 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/23 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती मंजू मालवीय पत्नि श्री बद्रीनारायण मालवीय

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग की चौडाई का निर्धारण एवम् मूल खसरे के टुकडे (बटटा नम्बर) करके एकल पटटे हेतु पृथक–पृथक रूप से आवेदन करने बाबत् विस्तृत नोट तैयार कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।
4. जोन उपायुक्त को अतिरिक्त क्षेत्रफल के स्वामित्व की विस्तृत जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 39 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/6, 128/9 रकबा 01.05.01 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री नरसिंह व अन्य

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उक्त कटाण मार्ग पर यदि 80 फीट सडक मार्गाधिकार से कम अथवा अधिक पर स्वीकृती जारी की गयी हो तो उक्त प्रकरणों की जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 40 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 100/4 रकबा 03.00.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री खुमाराम पुत्र श्री भैराराम मेघवाल

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि जोधपुर से सालावास मुख्य रोड पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200' हैं। अतः सड़क मध्य से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे।
2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही की जा चुकी है।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि का प्रावधान किया जावें।
4. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 41 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सरेंचा के खसरा संख्या 446/4 रकबा 07.09.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री रमेश पारख पुत्र स्व. श्री हस्तीमल पारख जरिये आममुख्त्यार श्री शिवराम पुत्र श्री जोगाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त स्तर पर आवेदित भूमि को विद्यमान पहुंच मार्ग के संबंध में जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 42 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सरेंचा के खसरा संख्या 446/2, 446/3 रकबा 14.16.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती गजरा पत्नि श्री नगाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त स्तर पर आवेदित भूमि को विद्यमान पहुंच मार्ग के संबंध में जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 43 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सरेंचा के खसरा संख्या 777, 777/1 रकबा 14.16.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री नगाराम के फोत होने पर श्रीमती गजरा पत्नि श्री नगाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त स्तर पर आवेदित भूमि को विद्यमान पहुंच मार्ग के संबंध में जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 44 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/17, 128/1, 128/20 रकबा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बालाराम, श्रीमती जसोदा पत्नि श्री राजेन्द्र

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उक्त कटाण मार्ग पर यदि 80 फीट सडक मार्गाधिकार से कम अथवा अधिक पर स्वीकृती जारी की गयी हो तो उक्त प्रकरणों की जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 45 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 10/3 रकबा 01.03.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री सुमेश बोराणा पुत्र श्री मनीराम बोराणा

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 46 :– (31.01.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 109/3, 109/4 रकबा 09.18.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती राधादेवी पत्नि श्री चम्पालाल

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 102/8, 102/2 से 60 फीट प्राप्त हो रहा है।
2. आवेदित भूमि मे मौके पर 400 के.वी की एच.टी लाईन गुजरती है जिसके नीचे राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार सुरक्षात्मक दूरी का प्रावधान किया गया हैं।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
5. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

एजेण्डा संख्या 47 :– (31.01.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन1 रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम, श्रीमती चन्द्रा पत्नि श्री लिखमाराम, श्री भगवानराम पुत्र श्री भीखाराम

निर्णय :— समिति द्वारा बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में प्रस्तुत एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि नागौर मुख्य सडक से करवड गांव जाने वाली बी.टी सडक पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 100 फीट रखा जाकर सड़क मध्य से 50' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे। साथ ही उक्त सडक को राजस्व मानचित्र में दर्ज करने हेतु उपायुक्त द्वारा राजस्व तहसीलदार को पत्र लिखा जाकर उक्त की सुनिश्चितता की जावे।
2. प्रश्नगत प्रकरण में 3 आवेदकों में से श्री भंवरलाल द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 417 में स्थित भूमि का भू–उपयोग आवासीय व वाणिज्यिक किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा आयोजना शाखा द्वारा तैयार की गयी आपत्ति सुझाव रिपोर्ट में चाहा गया उपयोग नॉलेज सिटी में अनुज्ञेय होने के कारण "कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है" बाबत् टिप्पणी की गयी है। अतः समिति द्वारा आयोजना शाखा द्वारा आपत्ति सुझाव रिपोर्ट में की गयी टिप्पणी को उचित मानते हुए तथा प्रार्थीयों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में की गयी आपत्ति को विड्रॉ करने के क्रम में आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवा लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक द्वारा लिया गया निर्णय प्रार्थी को स्वीकार्य होगा बावत प्रार्थी से शपथ पत्र भी प्राप्त करनें हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पटटे में यह शर्त अंकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावें।
4. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
5. प्रार्थी से इस बावत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 48 :— (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/4 रकबा 04.18.18 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री मनीष झंवर पुत्र श्री जुगलकिशोर झंवर

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में 90–क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

संयुक्तीकरण / उपविभाजन

एजेण्डा संख्या 01 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम विजयराजे नगर के भूखण्ड संख्या सी/3 व भूखण्ड संख्या सी/4 कुल क्षेत्रफल 2488.88 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत्। आवेदक :– मैसर्स राजसन होटलस् प्रा. लि जरिये श्री महेश सोनी पुत्र श्री मोहनलाल सोनी।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 02 :– (31.01.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 41 के पट्टा सुदा भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 5197. 28 वर्गगज का उपविभाजन कर योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :– श्री अवधेशसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में प्रश्नगत खसरान् से संबंधित कोर्ट केस के संबंध में विधिक परिक्षण उपरांत व आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानानुसार नहीं होने के कारण आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 03 :– (31.01.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौखा वैशाली टाउनशिप के खसरा संख्या 693/1 के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या सी–3 कुल क्षैत्रफल 4666.66 वर्गगज के उपविभाजन पश्चात् संयुक्तीकरण बाबत्। आवेदक :– श्रीमती रेखादेवी रामरख्यानी पत्नी श्री घनश्यामदास वगैरहा।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा बिना अनुमति आवेदित भूखण्ड के छोटे–छोटे टुकडे कर बेचान किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 04 :– (31.01.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौखा वैशाली टाउनशिप के खसरा संख्या 693/1 के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या सी–3 कुल क्षैत्रफल 4666.66 वर्गगज के उपविभाजन पश्चात् संयुक्तीकरण बाबत्। आवेदक :– श्री अर्जुन तेजवानी पुत्र श्री दयाराम जी वगैरहा।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा बिना अनुमति आवेदित भूखण्ड के छोटे–छोटे टुकडे कर बेचान किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 05 :– (31.01.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 97 के पट्टा सुदा भूखण्ड रकबा 04.17.00 बीघा का उपविभाजन कर योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :– श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानानुसार नहीं होने के कारण आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 06 :– (31.01.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 66/4 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 1 से 5 के संयुक्तीकरण बाबत्। आवेदक :– श्रीमती बसन्ती चौधरी पत्नी श्री ओमप्रकाश चौधरी।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी पारीक)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/8017–24 दिनांक:– 28/2/2020

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक (आयोजना) एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 01/2020 वीं बैठक दिनांक 31.01.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री हरमान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री लाखूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती पुष्पा हरवानी, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
7.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री ओ.पी पारीक, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर